रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1566] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 5, 2013/आषाढ़ 14, 1935
No. 1566] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 5, 2013/ASADHA 14, 1935

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 25 जून, 2013

का. आ. 2034(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 13 के खण्ड (च क) के अनुसरण में "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रजिष्ट्रीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2012" में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रजिष्ट्रीकरण के लिए आवश्यकताएं) संशोधन आदेश, 2013 है।"

   (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2012 में,-

   (क) पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा , अर्थात् :-

   " माल के विनिर्माण, भंडारण, विक्रय और वितरण आदि के बारे में 3 प्रतिषेध-

   (1) कोई व्यक्ति स्वयं अथवा अपनी ओर से किसी व्यक्ति के माध्यम से ऐसे माल का विक्रय के लिए विनिर्माण या भंडार, आयात, बिक्री या वितरण नहीं करेगा जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं हैं और जिसमें ब्यूरो

से विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या अभिप्राप्त करने के पश्चात ऐसे माल पर "(अनुसूची के स्तम्भ (3) में उल्लिखित सुसंगत भारतीय मानक) के अनुरूप स्व घोषणा-(विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या)" अंकित न हो:

परन्तु जहां ब्यूरो से पहले से ही विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या वाले आयातित माल पर इस प्रकार का विवरण अंकित नहीं किया गया है, वहां सीमा शुल्क से माल की निकासी के लिए भारत में अवस्थित विनिर्माण इकाई के संपर्क कार्यालय या शाखा कार्यालय के प्रतिनिधि द्वारा इस प्रकार का विवरण चिपकाया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि इस आदेश की कोई बात निर्यात के लिए विनिर्मित माल के विनर्माण के संबंध में लागू नहीं होगी ।

(2) किसी ऐसे घटिया या त्रुटिपूर्ण माल को, जो अनुसूची के स्तम्भ (3) में उल्लिखित निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है, उपयोगहीन होने के कारण विरूपित किया जायेगा और उसका विनिर्माता या ऐसे विदेशी विनिर्माता, जिसका भारत में सम्पर्क कार्यालय या शाखा कार्यालय हो के प्रतिनिधि द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति या अभिकरण द्वारा जिसे समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाए, स्क्रैप के रूप में उसका व्ययन किया जायेगा ।

परन्तु यह कि ऐसे माल के अदावाकृत परेषण का ऐसे विभाग या अभिकरण द्वारा जिसे समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाए, स्क्रैप के रूप में विरूपित तथा व्ययनित किया जायेगा ।

(ख) पैरा 3 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अवस्थापित किया जाएगा, अर्थात् "3 क. आदेश का अनअनुपालन:- इस आदेश के उपबंध का प्रावधान प्रदर्शन, अनुसंधान और विकास अथवा परीक्षण के प्रयोजन के लिए विनिर्मित या आयातित माल को लागू नहीं होगा परन्तु ऐसे माल का उपयोगहीन होने के कारण निर्यात किया जाए अथवा विरूपित किया जाए और स्क्रैप के रूप में उनका व्ययन किया जाए, " ;

(ग) अनुसूची में,-

(i) स्तंभ-3 के क्रम सं. 1,3,4,11 तथा 12 के सामने अक्षर और अंक "आईएस 616:2010" के स्थान पर "आईएस 616:2010 आईईसी 60065:2005" अंक और अक्षर रखे जाएंगे और अब उन्हें इस रूप में पढ़ा जाएगा ।

(ii) स्तंभ (3) के क्रम संख्या 2,6,8,9,10,14 और 15 के सामने अक्षर और अंक "आईएस 13252:2010 " के स्थान पर "आईएस 13252 (भाग-1): 2010 आईईसी 60950—1:2005" अक्षर अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ।

(iii) स्तंभ (3) के क्रम संख्या 7 के सामने अक्षर और अंक " आईएस 13252:2003" के स्थान पर "आईएस 13252 (भाग-1): 2010 आईईसी 60950- 1: 2005 " अक्षर अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ।

(iv) स्तंभ (4) की क्रम सं. 14 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर "सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर-सुरक्षा- सामान्य आवश्यकताएं" प्रविष्टियां रखी जाएंगीं ।

(v) स्तंभ (2) की क्रम सं. 15 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्निलिखित रखा जाएगा,

स्वचालित आंकड़े प्रक्रमण मशीन, जिसमें विनिर्दिष्ट रूप से निम्नलिखित सम्मिलित हो :

(क) सर्वर

(ख) मेन्स ऑपरेटेड डेटा स्टोरेज उपकरण

(ग) डेटा तैयार करने वाला उपकरण परन्तु डेस्कटॉप कम्प्यूटरों के अलावा"

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में का. आ. 2357 (अ) तारीख 3 अक्टूबर,2012 द्वारा प्रकाशित किया गया और तत्पश्चात् का.आ. 822 (अ) तारीख 20 मार्च, 2013 द्वारा उसका संशोधन किया गया।

[फा. सं. 8(37)/2013—आईपीएचडब्ल्यू]

डॉ. अजय कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATON TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

ORDER

New Delhi, the 25th June, 2013

S.O. 2034(E).—In exercise of the powers conferred by clause (p) of sub-section (1) of Section 10 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) and in pursuance of clause (fa) of rule 13 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987,the Central Government, hereby makes the following further amendments to the "Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012", namely:-

1. (1) This Order may be called the "Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Amendment Order, 2013."

(2) It shall come in to force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012, -

(a) for paragraph 3, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"3 Prohibition regarding manufacture, storage, sale and distribution etc. of goods.-

(1) No person shall by himself or through any person on his behalf manufacture or store for sale, import, sell or distribute Goods which do not conform to the Specified Standard and do not bear the words "Self declaration - Conforming to (Relevant Indian Standard mentioned in column (3) of the Schedule) – (Unique Registration Number)" on such goods after obtaining the Unique Registration Number from the Bureau:

Provided that where such statement has not been affixed on the imported Goods already having unique registration number from the Bureau, such statement may be affixed by representative of the manufacturing unit having liaison office or branch office located in India, for clearance of goods from customs:

Provided further that nothing in this Order shall apply in relation to manufacture of Goods meant for export

(2) The substandard or defective Goods which do not conform to the Specified Standard mentioned in column (3) of the Schedule shall be deformed beyond use and disposed off as scrap by the manufacturer or representative of the overseas manufacturer having liaison office or branch office located in India or by any person or agency as authorised by the Appropriate Authority:

Provided that unclaimed consignments of such goods shall be deformed and disposed of as scrap by such department or agency as may be authorised by the Appropriate Authority.";

(b) after paragraph 3, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"3 A. Non – application of Order .-

The provision of this Order shall not apply to the goods manufactured or imported for the purpose of demonstration, research and development or testing, provided that such goods be subsequently exported or deformed beyond use and disposed off as scrap.";

(c) in the Schedule,-

(i) for the letters and figures "IS616:2010" against Sl. No. 1, 3, 4, 11 and 12 of column (3), the letters and figures be read as "IS 616:2010 IEC 60065:2005" shall be substituted:

(ii) for the letters and figures "IS 13252:2010" against Sl. No. 2, 6, 8, 9, 10, 14 and 15 of column (3), the letters, figures, bracket and word "IS 13252 (Part - 1):2010 IEC 60950-1:2005" shall be substituted:

(iii) for the letters and figures "IS 13252:2003" against S. No. 7 of column (3), the letters, figures, bracket and word "IS 13252 (Part - 1):2010 IEC 60950-1:2005" shall be substituted:

(iv) for the entries against S.No.14 of column (4), the entries "Information Technology Equipment - Safety - General Requirements";

(v) for the entries against S. No. 15 of column (2), the entries

"Automatic Data Processing Machines specifically including:

(a) Servers

(b) Mains Operated Data Storage Equipment

(c) Data Preparation Equipment

but excluding Desk Top Computers" shall be substituted.

Note:- The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O.2357 (E), dated the 3rd October, 2012 and subsequently amended vide number S.O. 822 (E), dated the 20th March, 2013.

[F NO. 8(37)/2013-IPHW]

Dr. AJAY KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054